

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक 8508 /स्था./अराज/2021

शिवपुरी, दिनांक - 18/06/2021

// विज्ञप्ति सूचना //

1. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर-शैक्षणिक सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. के पत्र क्रमांक 519/स्था./अराज/2019, भोपाल दिनांक 10.05.2019 द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में गैर-शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर आवेदन पत्र प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रवीणय सूची एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से तैयार की जानी है। इस हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. आवेदन संबंधित समय तालिका :-

क्रमांक	गतिविधि	तारीख
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	24.06.2021

3. विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रवीणय सूची एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से तैयार की जानी है। उक्त अनुसार योग्य पाये जाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा एवं प्रवेश दिया जावेगा।

4. उपरोक्त तिथियां श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाइट <http://shivpurimedicalcollege.com> एवं एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान दें। इस संबंध में चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की कोई जबाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। परन्तु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा
महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)